राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/2/2021 जयपुर, दिनांकः 05.05.2021

जिला कलक्टर
समस्त राजस्थान।

विषय– ऑक्सीजन परिवहन में लगे वाहनों की मरम्मत के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक क्रम में लेख है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि ऑक्सीजन परिवहन में लगे हुए वाहनों यथा ऑक्सीजन टैंकर एवं एस्कॉर्ट वाहनों को निरंतर एवं पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग में लिया जाये। इस हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

(i) ऑक्सीजन परिवहन में लगे हुए टैंकरों में लगातार चलने के कारण तकनीकी समस्यायें उत्पन्न हो रही है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी टैंकर में यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हो तो संबंधित जिले के राजस्थान रोडवेज की वर्कशाप एवं यह स्थान दूर होने पर स्थानीय स्तर पर उसको तत्काल सही करवाकर ही रवाना किया जाये।

(ii) यदि टैंकर के सेफ्टी वॉल्व या उसकी ऑफलोडिंग के दौरान लीकेज अथवा उनके L.M.O से संयोजन (coupling) से संबंधित तकनीकी समस्या है तो इनके मैकेनिक के लिये पेट्रोल पम्प एजेंसियों से संपर्क किया जाकर विशेषज्ञ तकनीकी संस्थाओं एवं उनके मिस्त्रियों का चिह्नीकरण करके रखा जाये।

(iii) प्रत्येक जिले में एवं राजमार्गो पर ऐसे सर्विस प्वाईंट चिन्हित करके भिजवाया जाये, जहां किसी टैंकर के खराब होने पर उनकी सर्विस/मरम्मत की जा सके। जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर ,अलवर कोटा, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, सीकर, बाडमेर ऐसे जिले है, जहां से यह सूचना तत्काल अपेक्षित है। अन्य जिले 24 घंटे में यह सूचना उपलब्ध करवायें। इस सूचना में सर्विस स्टेशन का विवरण, अवस्थिति, दूरभाष नम्बर एंव उसके कर्मचारी का विवरण आदि।

(iv) प्रत्येक जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करे कि उनके यहां भेजे जा रहे ऑक्सीजन वाहन में तकनीकी समस्या आने पर उक्त टैंकर को पूर्ण रूप से सही करवाया जाकर ही रवाना करवाया जाये एवं यह कार्य भी त्वरित गति से करवाया जाये। कई स्थानों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि वाहन में मरम्मत संबंधी समस्या होने के बाद भी उसकी मरम्मत करवाये बिना ही टैंकर को फिलिंग प्लान्ट की ओर रवाना किया जा

रहा हैं, जिसके कारण उसमें फिलिंग नहीं हो पा रही हैं। अतः यह सुनिश्चित किया जायें कि भविष्य में जिस भी टैंकर में तकनीकी समस्या हो, उसे मरम्मत के उपरान्त ही आयनॉक्स, भिवाड़ी / रिलांयस, जामनगर के लिए रवाना किया जायें।

(v) टैंकर के मैक एवं पार्टस के संबंध में राजस्थान रोडवेज वर्क्सशॉप के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लिया जाये, ताकि तकनीकी समस्या होने पर उसके पार्ट्स आदि की व्यवस्था की जा सके।

उक्त आदेशों के अनुक्रम में चाही गई सूचना जरिये E-mail: oxygensupply2021@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.टी.सी, जयपुर को उनके पत्रांकः एफ.5 (मु. / का. नि. / पा / 21 / 285), दिनांक 03.05.21 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन उप सचिव

शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर